रंगदारी मांगने के तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने रविवार को रंगदारी मांगने के तीन आरोपियों को बैरागी जोत-बसकुड़ी गांव के बीच बने पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, एक वाहन और नकद रुपये बरामद हुए। भिनगा के ग्राम केवलपुर निवासी दानबीर कर्ण सिंह ने शनिवार को कोतवाली भिनगा में तहरीर दी थी। उन्होंने पांच लोगों पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में ग्राम चितईपुर के मजरा उदईपुर निवासी शिवाकांत मिश्रा, ग्राम नौबस्ता निवासी मोनू सोनी व ग्राम किशुनपुर चोरवा भारी के मजरा भयापुरवा निवासी रविंद्र कुमार सिंह शामिल हैं।

आरोपियों के पास से एक अवैध देसी पिस्तौल .32 बोर और तीन कारतूस .32 बोर मिले। इसके अतिरिक्त, एक चाकू,

आरोपियों के पास से बरामद हुआ अवैध पिस्तौल, कारतूस, चाकू, एक वाहन व अन्य सामान

कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में रंगदारी मांगने के आरोपी।- स्रोत: पुलिस

एक लोहे की पाइप और एक लोहे की सरिया भी बरामद हुई। पुलिस ने एक स्कार्पियो वाहन, तीन मोबाइल फोन और 11087 रुपये नकद भी जब्त किए। कोतवाल राजप्रकाश सिंह ने बताया कि शिवाकांत मिश्रा के विरुद्ध बहराइच और श्रावस्ती के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। मोनू सोनी के विरुद्ध भी पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। (संवाद)